न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 94/2012

1 मदनलाल पुत्र छोटू जाति नाई निवासी सिहोट बड़ी तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मूर्ति मंदिर श्री विजय गोविन्दजी बिराजमान वाके ग्राम सिहोट बड़ी तहसील व जिला सीकर।
2 गोरधन
3 बनवारी (मृत)
3/1 श्रीमती इन्द्रमणी बेवा बनवारीलाल
3/2 नवीन पुत्र स्व. बनवारीलाल
3/3 मन्जू
3/4 संजु
3/5 बुली
3/6 मोहनी पुत्रियां स्व. बनवारीलाल
4 कैलाश (मृत)
4/1 कौशल्या पुत्री कैलाश उम्र 35 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी सिहोट बड़ी तहसील व जिला सीकर।
4/2 सुनिता पुत्री कैलाश आयु 17 वर्ष
4/3 सुनिल आयु 13 वर्ष पुत्र कैलाश नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मु. कौशल्या स्त्री कैलाश जाति ब्राह्मण निवासी सिहोट बड़ी तहसील व जिला सीकर।
5 किस्तूरी देवी (दावे में नाम हजफ)
6 लक्ष्मी देवी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

7 सीमा देवी

8 भगवती देवी पुत्रियां पूजारी श्रीराम समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम सिहोट बड़ी तहसील व जिला सीकर।

9 भोपाला पुत्र नन्दाराम जाति जाट निवासी भाखरा की ढाणी तन भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

10 उदाराम (मृत)

10/1 ओमादेव पत्नी उदाराम

10/2 गणपत

10/3 जमन

10/4 सीताराम पुत्रगण उदाराम

10/5 भानी देवी पुत्री उदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण भाखरा की ढाणी तन भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

11 मोहनलाल (मृत)

11/1 भगवानी पत्नी मोहनलाल

11/2 बाबूलाल पुत्र मोहनलाल

11/3 प्रमेश्वरी पुत्री मोहनलाल समस्त जाति जाट निवासीगण भाखरा की ढाणी तन भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

12 दुर्गा

13 मंजू

14 श्यामा

15 संतोष

16 टीडा पुत्रियां छोटू जाति नाई निवासिनी सिहोट बड़ी तहसील व जिला सीकर।

17 सोहनलाल (मृत)

17/1 तरूण पुत्र सोहनलाल

17/2 कुसुम पुत्री सोहनलाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

17/3 ज्योति पुत्री सोहनलाल जाति नाई निवासीगण सिहोट बडी तहसील व जिला सीकर।
18 तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2011
न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर
बसिलसिले दावा संख्या 1/92, 242/2008 उनवानी
विजय गोविन्दजी बनाम गोपालराम आदि
दावा उद्घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज भार्गव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 16.4.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 01/1992, 242/2008 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेंट संख्या 3/1 से 3/6 के पति व पिता बनवारीलाल, रेस्पोडेंट संख्या 4 लगायत 8 ने रेस्पोडेंट संख्या 9 ता 11 तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 12 लगायत 17 के पिता छोटू के विरूद्व भूमियां खसरा नम्बर 171,172,173,178, 230,603,607 व 608 कुल किता 8 कुल रकबा 14.97 हैक्टेयर तन ग्राम सिहोट बड़ी तहसील व जिला सीकर के सम्बंध में दावा उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन वाद वादी डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील धारा 96 व धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 छोटू की मृत्यु होने पर कायम मुकाम नहीं बनाने के कारण दावा अबैट करने का आवेदन के जवाब हेतु विचारण न्यायालय में कार्यवाही हेतु दिनांक 12.08.2009 को नियत थी। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के जवाब दावा के अनुसार तनकीयात कायम किए बिना व अपीलांट की साक्ष्य, सुने बिना ही विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के पिता की मृत्यु की सूचना दे दी गई किन्तु कायम मुकाम नही बनाये गये। विचारण न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद्व है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी संख्या 2 लगायत 8 पुजारी एवं प्रबन्धक परिवार के लोग है जिनमें प्रतिवादीगण के अनुसार वादी संख्या 3 व 5 का स्वर्गवास हो चुका था। वादी संख्या 5 के वारिस पहले से ही वाद में पक्षकार है। प्रकरण में अन्य किसी पक्षकार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही था। मूर्ति मन्दिर के विरूद्व दावा अबैट नही किया जा सकता है। वादी जो ब्राहम्ण जाति से है जो परम्परागत पुजारी है। प्रतिवादी लाठी के जोर पर भूमियों पर कब्जा करना चाहते है। मन्दिर की व्यवस्था के लिये यह भूमियां मंदिर के नाम किये जाकर आधा बांट ग्राम पंचायत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकार
सीकर

में करवाते रहेगें ओर ग्राम पंचायत मन्दिर व पुजारी की व्यस्था करते आ रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय व डिकी विधि सम्मत है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत धारा 96 व 5 के आवेदन में अपीलांट के पिता की दावा दौराने मृत्यु होने पर कायम मुकाम नही बनाये गये। जो विधि विरूद्व है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमती के साथ धारा 5 कन्डोन किया जाता है। जहां तक प्रकरण में पत्रावली रेस्पोडेंट संख्या 2 की तामील हेतु नियत थी। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 4 जो अपीलांट के पिता है। जिनकी मृत्यु पर कायम मुकाम पेश किये बिना ही निर्णय जारी किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई, जवाब दावा, तनकी कायम कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.05.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर